ज्ञापांक–3961/Tech./2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–16वीं अक्टूबर 2022

सेवा में,

MR.CHANDAN KUMAR,
DIRECTOR MOTI INFRAHEIGHTS PVT LTD,
MOTI NIWAS, NEAR JAY SHREE GREEN CITY,
ARGORA PUNDAG ROAD, RANCHI

विषयः– **मौजा–अरगोड़ा, प्लॉट नं0–890,970,893,889,1048, 891,894,895,888, 904, 905, 907, 908,906,899,900,901,966,898, 1053,1054,1047,958,902, 903,965,962,910, 909,957,897,1055, खाता नं0–84,79,80,83,34,88,113,18,206,124,188,41, वार्ड नं0–W36, थाना–207, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय भवनों BLOCK-A+B (B1+B2+G+13), BLOCK-C+D+E+E1 (B1+B2+G+13), Club House G+5 के निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय भवनों के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–797 दिनांक–14.10.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित प्रत्येक आवासीय भवनों के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम एक–एक लाख लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवनों में कम से कम बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. प्रत्येक भवनों के चारों तरफ 200mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक भवनों के दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया वाला एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रत्येक भवनों के बेसमेन्ट सहित सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो। भवन के पूरे क्लब हाउस एवं कॉम्नयुनिट हॉल को एड्रेसेबल डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
7. स्प्रिंकलर के जलापूर्त्ति हेतु अलग से पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय, जिसका संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवन में एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का प्रत्येक भवन में एक–एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM^2 दाब की क्षमता हो।

9. प्रत्येक भवनों में 900 Lpm क्षमता वाले एक–एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. प्रत्येक भवनों में 180 Lpm क्षमता वाले एक–एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg / CM^2 दाब की क्षमता हो।
11. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
12. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
13. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
14. उपर्युक्त भवन के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
15. NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
16. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
17. भवनों में मानक के अनुरूप रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
18. भवनों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
20. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
21. प्रत्येक भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
22. प्रत्येक भवनों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
23. प्रत्येक भवनों के मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड/पैनल को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
24. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवनों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। क्लब भवन को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
26. बेसमेन्ट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय। बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें। बेसमेन्ट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रूकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिए प्रस्थान कर सके।
27. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
28. भवनों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

29. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
30. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
31. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.10.16 11:51:54 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।